

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी :-

राजस्व वाद सं.- 83/2023

बलबीर पुत्र महावीर जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं  
राजस्थान। - वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र स्व० जीता उम्र 46 जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. प्रहलाद पुत्र आशा जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. जीवन पुत्र आशा जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4. गोविन्दा पुत्र आशा जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
5. हजारी पुत्र जीता जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
6. रणधीर पुत्र जीता जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
7. ज्यानकी पुत्री जीता जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
8. पारली पत्नी स्व० भोलाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
9. मदन पुत्र स्व० भोलाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
10. अर्जन पुत्र स्व० भोलाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
11. मानसिंह पुत्र स्व० भोलाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
12. सावरमल पुत्र स्व० भोलाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
13. लीलाराम पुत्र स्व० भोलाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
14. रावतराम पुत्र स्व० माईलाल जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
15. बस्तीराम पुत्र स्व० माईलाल जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
16. हरिराम पुत्र स्व० माईलाल जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
17. रामस्वरूप पुत्र स्व० माईलाल जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

18. सूबे सिंह पुत्र स्व० माईलाल जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
19. सुमन बेवा पप्पू जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
20. सत्यवीर पुत्र स्व० पप्पू जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
21. हवासिंह पुत्र स्व० नौरंग जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
22. राजू पुत्र स्व० नौरंग जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
23. सीताराम पुत्र स्व० नौरंग जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
24. संदीप पुत्र स्व० नौरंग जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
25. सन्तलाल पुत्र स्व० रतन सिंह जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
26. मनोज पुत्र स्व० रतन सिंह जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
27. किशोर पुत्र स्व० दरिया सिंह जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
28. सनी पुत्र स्व० दरिया सिंह जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
29. गोपी पुत्र स्व० दरिया सिंह जाति मेघवाल निवासी खेड़ला तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
30. पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबन्धक चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू राजस्थान।
31. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक -16.04.2024

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

- (क) यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 265 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.60 है०, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.41 है०, खसरा नं. 267 रकबा 1.76 है०, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 310 रकबा 1.15 है०, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.10 है० कुल किता 7 कुल रकबा 5.08 है० स्थित मौजा ग्राम खेड़ला के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चले आ रहे आमप्रकाश, जुगलाल, भाराराम पुत्रगण भोला के नाम को राजस्व रिकोर्ड से हजफ कर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज उनके हिस्से का भोला उर्फ भोलाराम के

दारिसान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना फरमाया जावे तथा घोषणा के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 29 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एवं वाई बाउण्डस विभाजन किया जाना फरमाया वाजे व वादी को विभाजन में प्राप्त हिस्से की भूमि पर वादी का अलग से कब्जा करवाया जाकर लगान भी अलग-अलग कायम किया जाना फरमाया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त कृषि भूमि में वादी को विभाजन में प्राप्त हिस्से के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित न करें।

(ग) यह कि हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(घ) यह कि अन्य सिट्टी जो बहक वादी हो और भूल व गलती से चाही जाने से रह गई हो तो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण को बार बार आवाज लगाई गई अवाज पर ना तो प्रतिवादीगण व न ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई अधिवक्ता हाजिर आया। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं० 2074-77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी वकील ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

राजस्व वाद संख्या:-83/2023  
बलबीर बनाम रामसिंह वगैरे  
निर्णय दिनांक:- 16.04.2024

--: आदेश:-

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख0न0 265 रकबा 0.02 है0, ख0न0 266 रकबा 0.60 है0, ख0न0 264 रकबा 0.41 है0, ख0न0 267 रकबा 1.76 है0, ख0न0 304 रकबा 0.04 है0, ख0न0 310 रकबा 1.15 है0, ख0न0 311 रकबा 1.10 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.08 है0, स्थित मौजा खेडला, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राज0 की भूमि में तहसीलदार पिलानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ./24/537 दिनांक 22.03.2024 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।

(दयानंद रुयल)  
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़  
उपखण्ड अधिकारी,  
पदेन उप जिला कलक्टर,  
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)  
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़  
उपखण्ड अधिकारी,  
पदेन उप जिला कलक्टर,  
सूरजगढ़

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 83/2023

निर्णय दिनांक :- 16.04.2024

बलबीर बनाम रामसिंह वगै०

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रामेश्वर दयाल एड० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.04.2024 को दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

"न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख०न० 265 रकबा 0.02 है०, ख०न० 266 रकबा 0.60 है०, ख०न० 264 रकबा 0.41 है०, ख०न० 267 रकबा 1.76 है०, ख०न० 304 रकबा 0.04 है०, ख०न० 310 रकबा 1.15 है०, ख०न० 311 रकबा 1.10 है० कुल किता 7 कुल रकबा 5.08 है०, स्थित मौजा खेडला, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राज० की भूमि में तहसीलदार पिलानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ./24/537 दिनांक 22.03.2024 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रूयल)  
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ  
पदेन उप जिला कलक्टर,  
सूरजगढ